प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

सेवा मे,

नेशनल इन्फॉर्मेशन सेन्टर,
मेरठ।

पत्रांकः– सी0एम0ओ/एन0सी0डी/एन0एम0एच0पी0/ 2020–21/213 दिनांकः 21-9-2020

विषयः– मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–17 के अन्तर्गत मेरठ के सरकारी/गैर–सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो/प्रतिप्ठानो में कार्यरत्/प्राइवेट प्रेक्टिशनर मनोरोग चिकित्सा/नैदाानिक/मनोविज्ञानी/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर/मनोरोग चिकित्सक/नैदानिक/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता के पंजीयन एवं डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–17 लागू हो चुका है जिसके अनुपालन मे जनपद के सरकारी/गैर–सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो/प्रतिप्ठानो में मानसिक स्वास्थ्य मे वृत्तिकों के रूप मे कार्य कराने के लिए राज्य मे कार्यक्रम नैदाानिक/मनोविज्ञानी/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर/मनोरोग चिकित्सक/नैदानिक/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता एवं मनोरोग विशेषज्ञ को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण रजिस्ट्रर मे दर्ज किया जाना है।

उक्त सम्बन्ध मे आप अनुरोध है कि आप मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–17 लागू हो चुका है जिसके अनुपालन मे जनपद के सरकारी/गैर–सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो/प्रतिप्ठानो में मानसिक स्वास्थ्य मे वृत्तिकों के रूप मे कार्य कराने के लिए राज्य मे कार्यक्रम नैदाानिक/मनोविज्ञानी/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर/(मनोरोग चिकित्सक/नैदानिक/मनोविकारी सामजिक कार्यकर्ता) की सूचना डायरेक्ट्री हेतु वेबसाइट– dgmhup.gov.in पर दिये गये लिंग https://docs.googe.com/forms/d/e/1FAlpQLSd0QqMZvHBYD53ikR5J671716DPt3-TYolzJivQMozoVhqKBw/viewform के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ।

पत्रांकः– सी0एम0ओ/एन0सी0डी/एन0एम0एच0पी0/2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
5. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,(एडमिट्रेशन/प्रशासन), मेरठ।
6. प्रधानाचार्य, एल0एल0आर0एम0 मैडिकल कॉलिज, मेरठ।
7. अध्यक्ष, आई0एम0ए0 मेरठ।
8. समस्त सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सको इस आश्य के साथ प्रेषित कि वह अपना रजिस्टेशन दिये गये वेबसाइट पर जा कर निःशुल्क पंजीकरण करना सुनिश्चित करे एवं उक्त कि सूचना ससमय कार्यालय आद्योहस्तक्षरी को ई–मेल **NPCDCSMEERUT@GMAIL.COM** पर प्रेषित करने सुनिश्चित करें। ताकि राज्य स्तर पर रिपोर्ट ससमय से प्रेषित की जा सके।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक :– रा0मा0स्वा0प्रा0 / 2020–21 / 736 लखनऊ / दिनांक 11 / 09 / 2020

विषयः– मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 के अर्न्तगत प्रदेश के सरकारी / गैर–सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों / प्रतिष्ठानों में कार्यरत / प्राईवेट प्रेक्टिशनर मनोरोग चिकित्सक / नैदानिक / मनोविज्ञानी / मनोविकारी समाजिक कार्यकर्ता तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर (मनोरोग चिकित्सक / नैदानिक / मनोविज्ञानी / मनोविकारी समाजिक कार्यकर्ता के पंजीयन एवं डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 लागू हो चुका है जिसके अनुपालन में प्रदेश के सरकारी / गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों / प्रतिष्ठानों में मानसिक स्वास्थ्य में वृत्तिकों के रूप में कार्य करने के लिये राज्य में नैदानिक, मनोविज्ञानिक मानसिक स्वस्थ्य नर्सो मनोविकार विज्ञानी, समाजिक कार्यकर्ता एवं मनोरोग विशेषज्ञ को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण रजिस्ट्रर में दर्ज किया जाना है जिस हेतु अध्यक्ष / प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय को पत्रांक रा0मा0स्वा0प्रा0 / 2019–20 / 653 दिनांक, 18.02.2020 द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश में प्रकाशित किया जा चुका है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 की धारा 55 (घ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी / गैर सरकारी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों / प्रतिष्ठानों में कार्यरत मनोरोग चिकित्सक / नैदानिक / मनोविज्ञानी / मनोविकारी समाजिक कार्यकर्ता तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर (मनोरोग चिकित्सक / नैदानिक / मनोविज्ञानी / मनोविकारी समाजिक कार्यकर्ता) की सूचना डायरेक्ट्री हेतु वेबसाइड–**dgmhup.gov.in** पर दिये गये लिंक https:/ /docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL Sd 0Qq MZvHBYD53ikR5J671716DPt3-TYolzJivQMozoVhgKbw/viewform के माध्यम से पंजीयन कराना सुनिश्चित करायें।

प्रश्नगत प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से अच्छादित है। अस्तु सर्वोच्च प्राथमिकता / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक :–रा0मा0स्वा0प्रा0 / 2020–21 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष / प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0, शासन।

(सुनील पाण्डेय)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी